



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर०के०मिश्रा,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1085/दो/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 27-01-2016
पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट जिला सीधी प्रकरण क्रमांक
15/अ-27/2013-14

1- पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री वासुदेव सिंह बघेल
निवासी-ग्राम डडिया, तहसील चुरहट
जिला सीधी (म०प्र०)

2- बृजेश कुमार पुत्र श्री रामदेव गुप्ता,
निवासी- ग्राम व तहसील चुरहट
जिला-सीधी (म०प्र०)

आवेदकगण

विरुद्ध

1- वासुदेव सिंह पुत्र श्री लल्लासिंह

2- उमादेवी पत्नी श्री देवेन्द्रसिंह

3- अंकितसिंह पुत्र श्री देवेन्द्रसिंह

4- मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री वासुदेवसिंह

5- सरोजसिंह पत्नी श्री मनोजकुमार सिंह

6- अनिल कुमार सिंह पिता श्री वासुदेवसिंह

7- पूनमसिंह पिता श्री अनिल कुमार सिंह

8- अनिलसिंह पिता श्री वासुदेवसिंह

9- कृष्णसिंह पत्नी श्री अनिलसिंह

सभी निवासीगण ग्राम डडिया, तहसील-चुरहट, जिला-सीधी

- 10- विजय कुमार पिता श्री रामदेव गुप्ता
11- अर्चना पिता श्री रामदेव गुप्ता
12- रीना पिता श्री रामदेव गुप्ता
13- कल्पना पिता श्री रामदेव गुप्ता
14- सरस्वती पत्नी श्री रामदेव गुप्ता
सभी निवासी ग्राम-चुरहट, तहसील- चुरहट, जिला-सीधी ---अनावेदकगण

श्री एस०एल०धाकड, अधिवक्ता - आवेदक
श्री डी०एस०चौहान, अधिवक्ता - अनावेदकगण

.....
:: आदेश ::

(आज दिनांक २३) ग्र१६ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट, जिला-सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्रमांक 1366/2 रकवा 2.239 हैक्टेयर व 1370/2 रकवा 0.142 हैक्टेयर स्थित ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी का बटवारा नामांतरण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर तहसीलदार चुरहट, जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/अ-27/13-14 में पारित आदेश दिनांक 09-01-14 से स्वीकार किया गया। उक्त आदेश राजस्व अभिलेख में इन्द्राज है। दो वर्ष पश्चात एस.डी.ओ. चुरहट द्वारा अपने पत्र

✓

✓

-3- प्र0क्त0 निग01085-दो/16

दिनांक 08-10-15 के द्वारा पुर्नविलोकन के लिए प्रस्तावित कर तहसीलदार चुरहट के आदेश दिनांक 22-01-16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट को प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 27-01-16 को पुर्नविलोकन का आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- प्रकरण में उभय-पक्ष के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक अभिभाषक ने अपने मौखिक एवं लिखित तर्क में बताया गया है कि उभय-पक्ष के द्वारा पुनर्विलोकन संबंधी कोई आवेदन-पत्र किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके बावजूद दो वर्ष पश्चात अवधि बाह्य हो जाने के उपरांत तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 22-01-16 से पुर्नविलोकन का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी चुरहट द्वारा उभय-पक्ष को बगैर सूचना के साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान कर दी गई, जबकि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के नियमानुसार प्रायवेट पक्षकारों के मध्य, रिव्यू स्वप्रेरणा से नहीं किया जा सकता है । आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 178 व 178(क) तथा बने नियमों के अनुसार केवल विभाजन की फीस ही अदा की जा सकती है । विभाजन में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 178एवं 178(क) तथा नियमों में स्टाम्प ड्रूटी का कोई प्रावधान नहीं है । इस संबंध में आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2016(2)आर0एन0224 (सुरेन्द्रसिंह बनाम श्रीमती बोस्की) 1989 आर0एन0 14 (एच0सी0), 1984 आर0एन0 237, 2016(2) आर0एन0 158 भी प्रस्तुत किये गये हैं । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट का आदेश दिनांक 27-01-16 एवं उसके आधार पर तहसीलदार चुरहट द्वारा प्रस्तावित आदेश दिनांक 22-01-16 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया कि उभय-पक्ष के मध्य सहमति से नामांतरण बटवारा किया गया है तथा पुनर्विलोकन के लिये उनके द्वारा कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनके द्वारा पूर्व नामांतरण बटवारा स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5- उभय-पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 09-01-14 को आवेदक एवं अनावेदक के मध्य सहमति के आधार पर विभाजन किया गया है । जिसके विरुद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा पुर्णविलोकन हेतु कोई आपत्ति या अपील नहीं की गई है । केवल तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के पत्र दिनांक 08-10-15 को आधार बना कर स्वप्रेरणा के अंतर्गत प्रकरण में पुर्णविलोकन की आदेश पत्रिका दिनांक 22-01-16 अंकित की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी चुरहट की ओर भेजा गया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 22-01-16 को आधार बनाकर पुर्णविलोकन की अनुमति दी गई है जिसके संबंध में दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण को पुर्णविलोकन में लिये जाने हेतु विधि सम्मत रूप से न तो कार्यवाही की गई और ना ही पक्षकारों को किसी प्रकार से सूचना, सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रकरण में नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का किसी प्रकार से पालन होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, जबकि पुर्णविलोकन के संबंध में जो विधिक प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत के आवेदन-पत्र या आपत्ति के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के अंदर तहसीलदार को सुनवाई हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिये, इस संबंध में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये हैं, उक्त विवेचना एवं न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 22-01-16 एवं अनुविभागीय अधिकारी

(5)

प्र०क्र० 1085-दो/16

का आदेश दिनांक 27-01-16 दोषपूर्ण एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि बटवारे के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना-पत्र भेजकर तथा उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत संहिता की धारा-51 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत रिव्यू अनुमति की कार्यवाही कर आदेश पारित करें।

23/7/18
(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर